सत्यमेव जयते

"राजस्थान सरकार का सपना
हो आरोग्य राजस्थान अपना"

मार्गदर्शिका

सर्वे सन्तु निरामया

आरोग्य राजस्थान

स्वस्थ राजस्थान की ओर बढ़ते कदम....

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान

Dr. V. K. Mathur
Director (RCH)

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान

आरोग्य राजस्थान

मार्गदर्शिका

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2015–16 के बिन्दु संख्या 121–आरोग्य राजस्थान

के अन्तर्गत स्वास्थय की देखभाल की दिशा में नई सोच, के साथ प्रदेश में (Universalization of Health Care) माह दिसम्बर 2015 से मार्च 2016 तक आरोग्य राजस्थान अभियान चलाया जायेगा। इस अभियान के तहत पंचायतवार स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जाँच करवाई जायेगी एवं इसे भामाशाह कार्ड से जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति का ई–हैल्थ कार्ड (e-health Car) बनाया जायेगा। ई–हैल्थ कार्ड के आधर पर हैल्थ इन्फोरमेसन नेट वर्क (Health Information Network-HIN) तैयार किया जायेगा। इस डेटा बेस के आधार पर गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की जायेगी।

आरोग्य राजस्थान योजना के संचालन हेतु प्रशासनिक ढांचा

- राज्य स्तर– आरोग्य राजस्थान का प्रशासनिक विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। राज्य स्तर पर संयुक्त शासन सचिव (चिकित्सा व स्वास्थ्य),अति. मिशन निदेशक (एनएचएम) व निदेशक (आई.ई.सी.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग प्रभारी अधिकारी है।
- जिला स्तर–
  1. जिला कलेक्टर–जिला आरोग्य राजस्थान प्रबंधक
  2. जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी – जिला प्रभारी अधिकारी आरोग्य राजस्थान
  3. जिला उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(स्वास्थ्य)–जिला नोडल अधिकारी आरोग्य राजस्थान
- ब्लाक स्तर–ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी – ब्लाक प्रभारी अधिकारी आरोग्य राजस्थान
- पीएचसी/सीएचसी स्तर – चिकित्सा अधिकारी प्रभारी – पीएचसी/सीएचसी तथा उसके अधीनस्थ आने वाले उप स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रभारी अधिकारी आरोग्य राजस्थान होगा।
- जिला स्तर से स्वास्थ्य शिविर हेतु नियुक्त चिकित्सा अधिकारी ग्राम पंचायतवार लगने वाले स्वास्थ्य शिविर का प्रभारी अधिकारी तथा स्वास्थ्य शिविर के संचालन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

राज्य स्तर पर आरोग्य राजस्थान से सम्बन्धित अधिकारी–

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद
1	डॉ. प्रीतम बी. यशवन्त	विशिष्ट शासन सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य), अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम) व निदेशक (आईईसी)
2	डॉ. बी. आर. मीणा	निदेशक (जन स्वास्थ्य)
3	डॉ. वी. के. माथुर	निदेशक (आरसीएच)
4	श्री जयसिंह	राज्य नोडल अधिकारी (आरोग्य राजस्थान)
आरोग्य राजस्थान ई–मेल आई डी		arogya.rajasthan@gmail.com
आरोग्य राजस्थान सॉफ्टवेयर से सम्बन्धित समस्या ई–मेल आई डी व मोबाइल नम्बर		arogyadoit@gmail.com Shri Abhishek Mobile no. +91 8441833372

दूरभाषः– 0141–2222817

Dr. V. K. Mathur
Director (RCH)

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान

आरोग्य राजस्थान

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2015–16 के बिन्दु संख्या 121–आरोग्य राजस्थान Universalization of Health Care की दिशा में नई सोच के साथ प्रदेश में दिसम्बर 2015 से मार्च 2016 तक आरोग्य राजस्थान अभियान चलाया जायेगा। इस अभियान के तहत पंचायतवार शिविर लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जाँच करवाई जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति का e-health Card बनाया जायेगा। इससे हैल्थ इन्फोरमेशन नेटवर्क (Health Information Network) तैयार किया जायेगा। इस डेटाबेस को भामाशाह कार्ड से जोड़कर गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की योजना के तहत निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की जायेगी।

उद्देश्य :–

- प्रदेश के ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य की जाँच
- गंभीर बीमारियों से पीडित व्यक्तियों का योजना के तहत निःशुल्क इलाज
- चरणबद्ध तरीके से ई–हैल्थ कार्ड ऑनलाईन जनरेट व ई–हैल्थ कार्ड के आधार पर हैल्थ इन्फोरमेशन तैयार करना
- डाटा बेस को भामाशाह कार्ड से जोडा जायेगा
- डाटा बेस के आधार पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय
- निःशक्तजनों की पहचान

प्रथम चरण –

प्रदेश में आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे अभियान : 01 अक्टुबर, 2015 से प्रारम्भ

आशा सहयोगिनियों के कार्य–

- माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2015–16 के बिन्दु संख्या 121–आरोग्य राजस्थान के अन्तर्गत प्रदेश में दिनांक 01.10.2015 से आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे अभियान प्रारम्भ।
- आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे ग्राम स्तर पर कार्यरत आशा सहयोगिनियों द्वारा सम्पन्न करवाया जायेगा। आशा के रिक्त पदों पर स्वास्थ्य सर्वे जिला स्तर पर निर्णय लेकर ऑगनबाडी कार्यकर्ता अथवा उपलब्ध स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा करवाया जायेगा।
- आशा अपने क्षेत्र में घर घर जाकर परिवार के मुखिया (परिवार के मुखिया का नाम भामाशाह कार्ड के अनुसार लिखना है यदि भामाशाह कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड के अनुसार लिखें) तथा उसके परिवार के सदस्यों की सामान्य जानकारी एवं ग्रसित बीमारियों की जानकारी (प्रपत्र में अंकित बीमारियों/बीमारियों के लक्षणों के कोड के अनुसार) आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे परिवार प्रपत्र में अंकित की जायेगी।यदि कोइ व्यक्ति एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित है तो ग्रसित बीमारियों के कॉलम में उसीके अनुरूप समस्त बीमारियों के कोड लिखें।
- यदि किसी व्यक्ति को अभी आधार कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है और उसका आधार कार्ड बनना प्रक्रियधीन है तो उसका एनरोलमेन्ट नम्बर (Enrolment ID No.) सर्वे प्रपत्र के पीछे उस व्यक्ति का नाम लिख कर उसके सामने लिखें।
- आशा सम्बन्धित परिवार को आरोग्य राजस्थान योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य शिविरों में लोगों के स्वास्थ्य की जाँच, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा इलाज की निःशुल्क व्यवस्था, राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का चरणबद्ध तरीके से बनाये जाने वाले ई–हैल्थ कार्ड के बारे में जानकारी प्रदान करेगी तथा चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के आई0 ई0 सी0 ब्यूरो0 द्वारा छपवाये गए लीफलेट देते हुए बीमा योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया से भी परिवारों को अवगत करवायेगी।
- भरे हुए स्वास्थ्य सर्वे परिवार प्रपत्र अपने क्षेत्र की एएनएम को प्रत्येक सप्ताह सोमवार को प्रस्तुत करेगी।
- आशा द्वारा फार्म भरने के पश्चात परिवार के सदस्यो को सूचित करेगी कि योजना का लाभ लेने हेतु आप अपनी स्वास्थ्य की जाँच नजदीकी पीएचसी/सीएचसी पर अथवा निर्धारित दिनांक को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लगने वाले स्वास्थ्य शिविर में अपनी स्वास्थ्य की जाँच करवा लेवें।
- जिन व्यक्तियों के भामाशाह कार्ड नहीं बने हैं उनको आशा भामाशाह कार्ड बनाने की प्रक्रिया तथा उसकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से बतायेगी तथा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए भामाशाह कार्ड बनाने हेतु प्रेरित तथा सहयोग करेगी।
- यदि परिवार में गर्भवती महिला है तो उसकी सूचना प्रपत्र के कम संख्या 11 में अंकित करनी है तथा उसका मॉनिटरिंग प्रपत्र अवश्यक रूप से भरकर अपने क्षेत्र की एएनएम को देवें।

Dr. V. K. Mathur
Director (RCH)

प्रदेश में आरोग्य राजस्थान की क्रियान्विति में एएनएम के कार्य–

- आशा द्वारा भरे हुए आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र आशाओं से प्रति सप्ताह सोमवार को प्राप्त करेगी।
- एएनएम अपने क्षेत्र की आशाओं को आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र में सही सूचना दर्ज करने में आशाओं को पूर्ण जानकारी देगी तथा प्रपत्र भरने में सहायता करेगी।
- एएनएम द्वारा अपने क्षेत्र की आशाओं से प्राप्त आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र इकजाई कर उक्त प्रत्येक प्रपत्र के बिन्दु संख्या 1 से 10 तक की जाँच करेगी कि प्रपत्र सही भरा गया है अथवा नहीं। प्रपत्र के बिन्दु संख्या 1 से 10 तक की सूचना पूर्ण नहीं भरने अथवा गलत भरने पर आरोग्य राजस्थान ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में एण्ट्री सम्भव नहीं हैं। यदि पूर्ण नहीं भरा गया है तो आशा से परिवार की पूर्ण व सही सूचना प्रपत्र में भरवा लेवें।
- प्रपत्र के अनुसार एएनएम अपने स्वास्थ्य केन्द्र के क्षेत्र में गंभीर बिमारियों से ग्रसित व्यक्तियों की सूची निर्धारित प्रपत्र में तैयार करेगी तथा उन व्यक्तियो से संम्पर्क कर उन्हे नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) अथवा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर माह दिसम्बर 2015 से मार्च 2016 तक लगने वाले शिविर में अपनी बिमारी की जाँच चिकित्सक से करवाने हेतु व्यक्तिगत रूप से अवगत करवायेगीं।
- एएनएम अपने स्वास्थ्य केन्द्र के समस्त सही भरे हुए प्रपत्रो के बिन्दु संख्या 1 से 10 तक की सूचना की फिडिंग विभाग द्वारा तैयार करवाये गये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में अपने सम्बन्धित क्षेत्र की पीएचसी/सीएचसी/एसडीएच पर करवायेगीं।
- जिन प्रपत्रों की सूचना अधुरी है अथवा गलत हैं उन्हे स्वयं अथवा आशा से पूर्ण करवाकर पुनः पीएचसी/सीएचसी पर सॉफ्टवेयर में एण्ट्री करवाई जायेगी।
- फिडिंग को प्रमाणित करने के पश्चात ही एएनएम आशाओं को स्वास्थ्य सर्वे के मानदेय का भुगतान करेगी ।
- किसी व्यक्ति को डॉक्टर द्वारा जाँच की आवश्यकता है तथा उस व्यक्ति द्वारा योजना के दौरान पीएचसी/सीएचसी पर अपने स्वास्थ्य की जाँच नहीं करवाई है तो ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी तथा उन्हें ग्राम पंचायतवार लगने वाले स्वास्थ्य शिविर के लिए स्थान एवं दिनांक से अवगत करवायेगी।
- संबंधित पीएचसी/सीएचसी पर जिन व्यक्तियों की स्वास्थ्य की जाँच की जा चुकी है उन व्यक्तियों के आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र मय रोगी जाँच हैल्थ कार्ड प्राप्त करेगी तथा उक्त सूचना के अनुसार पीएचसी/सीएचसी पर स्वास्थ्य डेटा में संशोधन करवायेगी तथा रिकार्ड को अपने स्वास्थ्य केन्द्र पर व्यवस्थित रखेगी।
- एएनएम अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायतवार लगने वाले स्वास्थ्य शिविर में उपस्थित रहेगी तथा शिविर में उसको दी गई जिम्मेदारी के अनुसार कार्य करेगी।
- प्रत्येक उपस्वास्थ्य केन्द्र की एएनएम, आशा द्वारा भरे गये प्रपत्रों के अनुसार गंभीर बीमारियों से पीडित व्यक्तियों का संलग्न प्रपत्र के अनुसार सूची तैयार करना तथा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत संपर्क कर स्वास्थ्य शिविर अथवा नजदीकी पीएचसी/सीएचसी पर उपस्थित होकर स्वास्थ्य की जाँच करवाने के लिए सूचित करें तथा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत संभव ईलाज की पूर्ण जानकारी दी जावे। एएनएम द्वारा तैयार की गई उक्त सूची अपने संबंधित क्षेत्र की पीएचसी/सीएचसी को प्रेषित करेगी तथा संबंधित पीएचसी/सीएचसी पर उक्त सूचना ग्राम पंचायतवार ईकजाई कर स्वास्थ्य शिविर में प्रेषित की जायेगी। इससे बीमार व्यक्तियों की ग्राम पंचायतवार संभावित सूची तैयार हो जायेगी।
- आरोग्य राजस्थान योजना की मॉनिटरिंग प्रपत्रों के अनुसार नियमित साप्ताहिक सूचना सम्बन्धित पीएचसी/सीएचसी चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र में भिजवायेगी।

प्रदेश में आरोग्य राजस्थान कार्यक्रम की क्रियान्विति में पीएचसी/सीएचसी पर पद स्थापित चिकित्सा अधिकारियों के कार्य–

- पीएचसी/सीएचसी पर पद स्थापित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी आरोग्य राजस्थान योजना का पीएचसी/सीएचसी तथा उसके अधीनस्थ आने वाले उप स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रभारी अधिकारी होगा। अधीनस्त क्षेत्र में आरोग्य राजस्थान कार्यक्रम से सम्बन्धित सम्पूर्ण जिम्मेदारी उक्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी की होगी।
- पीएचसी/सीएचसी पर पद स्थापित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी अपने क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों पर लगने वाले प्रत्येक स्वास्थ्य शिविर स्थल का व्यक्तिगत दौरा कर निरीक्षण किया जावे तथा स्वास्थ्य शिविरों की सम्पूर्ण व्यवस्था करेंगे।
- चिकित्सा अधिकारी प्रभारी पीएचसी/सीएचसी पर आने वाले व्यक्तियों का हिमोग्लोबिन, आँखों की जाँच (दृष्टि दोष), ब्लड प्रेशर, हाईट, वजन एवं आवश्यकतानुसार अन्य जाँच की जायेगी तथा चिकित्सक द्वारा क्लिनिकल सिम्टम के आधार पर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर व अन्य बीमारियों की पहचान की जायेगी । उक्त बीमारी का यदि सम्भव हुआ तो चिकित्सा अधिकारी द्वारा ओपीडी में इलाज किया जायेगा एवं संबंधित पीएचसी/सीएचसी पर उसकी बीमारी तथा जाँच का ब्यौरा आरोग्य राजस्थान ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में चिकित्सकीय सलाह के अनुसार एण्ट्री की जायेगी। जिससे उसका ई–हेल्थ कार्ड जेनेरेट होगा। जिसमें उसकी हिमोग्लोबिन, आँखों की जाँच (दृष्टि दोष), ब्लड प्रेशर, हाईट, वजन, अन्य जाँच आदि का उल्लेख होगा तथा चिकित्सक द्वारा चिन्हित की गई बीमारी का ब्यौरा होगा। पहचान की गई बीमारी के इलाज के लिए आवश्यकता अनुसार उच्च राजकीय चिकित्सा संस्थानों/मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पतालों अथवा योजना के

18.12

Dr. V. K. Mathur
Director (RCH)

तहत चिह्नित निजी चिकित्सा संस्थानों के लिए रैफर किया जायेगा। यदि परिवार मुखिया व परिवार सदस्यों के सामने अंकित बीमारी की क्लिनिकल सिम्टम के आधार पर चिकित्सक बीमारी की पहचान नहीं कर पाता है तो चिकित्सक द्वारा उक्त व्यक्ति को जिले में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उच्च चिकित्सा संस्थानों, मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पताल अथवा चिह्नित निजी चिकित्सा संस्थानों के लिए रैफर कर संदर्भित बीमारी की जॉच एवं इलाज करवाया जायेगा।

- पीएचसी/सीएचसी पर पदस्थापित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी अपने क्षेत्र की एएनएम से उपस्वास्थ्य केन्द्रवार उन बीमार व्यक्तियों की सूची प्राप्त करेंगे जिन्होनें योजना के तहत अपने स्वास्थ्य की जाँच पीएचसी/सीएचसी अथवा अन्य चिकित्सा संस्थान पर नहीं करवायी है तथा वे किसी बीमारी से ग्रसित हैं तथा उन्हें उच्च चिकित्सा संस्थानों पर इलाज की आवश्यकता है। यह सूची चिकित्सा अधिकारी प्रभारी ग्राम पंचायतवार लगने वाले स्वास्थ्य शिविरों की इकजाई सूची तैयार कर जिला स्तर से ग्राम पंचायतवार लगने वाले स्वास्थ्य शिविर में नियुक्त चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें तथा उसके अनुसार ग्राम पंचायत पर लगने वाले स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्था करेगें।
- जिला स्तर से ग्राम पंचायतवार लगने वाले स्वास्थ्य शिविर में नियुक्त चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य शिविर का प्रभारी अधिकारी होगा तथा उक्त चिकित्सा अधिकारी की स्वास्थ्य शिविर के संचालन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

द्वितीय चरण

स्वास्थ्य शिविर–

ग्राम पंचायतवार स्वास्थ्य शिविर : 15 दिसम्बर, 2015 से 31 मार्च, 2016

- माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2015–16 के अनुसार राज्य में आरोग्य राजस्थान के अन्तर्गत लोगों के स्वास्थ्य की जाँच हेतु ग्राम पंचायतवार माह दिसम्बर 2015 से मार्च 2016 तक स्वास्थ्य शिविर लगाये जायेगें।
- स्वास्थ्य शिविर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित पीएचसी/सीएचसी पर तथा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पीएचसी/सीएचसी स्थित नहीं होने पर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित अटल सेवा केन्द्रों/ उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल स्टाफ एवं चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जायेगा।
- नई ग्राम पंचायत जँहा पर अटल सेवा केन्द्र नहीं है वहां पर उप स्वास्थ्य केन्द्र पर शिविर लगाया जा सकता है परन्तु आवश्यकतानुसार स्थान उपलब्ध नहीं होने पर शिविर सक्षम स्वीकृति से रविवार को स्कूल भवन अथवा अन्य उपयुक्त स्थान पर लगाया जा सकता है।
- सरकारी चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सकों की सेवाएं ली जायेगीं। जिले में आवश्यकतानुसार निजी चिकित्सकों की सेवाएं लेने हेतु स्वीकृति राज्य स्तर से लिया जाना आवश्यक है।
- ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर स्वास्थ्य शिविरों में सरकारी चिकित्सको व पैरा मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शिविरों के आयोजन में यह व्यवस्था की जावें की जिस पीएचसी/सीएचसी पर अथवा उसके अधीनस्थ ~~ग्राम पंचायत मुख्यालय पर माह के प्रथम शनिवार/रविवार शिविर नियत किया हो उसके नजदीकी पीएचसी/सीएचसी~~ पर अथवा उसके अधिनस्थ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्वास्थ्य शिविर माह के द्वितीय शनिवार/रविवार को शिविर नियत किया जाना सुनिश्चित करें व इसी प्रकार माह के तृतीय तथा चतुर्थ शनिवार/रविवार को शिविर नियत किये जावें ताकि प्रत्येक शिविर में आश्यकतानुसार चिकित्सको व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओ की सेवायें उपलब्ध हो सके। इससे निजी चिकित्सको की कम से कम स्वास्थ्य शिविरों में आवश्यकता होगी।
- स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन जिला/ब्लॉक स्तर से नियुक्त चिकित्सा अधिकारी तथा पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा किया जायेगा।
- एएनएम अपने क्षेत्र की आम जनता को यह सूचित करेगी की गम्भीर बीमारियों से पीडित व्यक्ति ग्राम पंचायत स्तर पर लगने वाले शिविर से पूर्व भी अपने नजदीकी पीएचसी/सीएचसी पर आउटडोर में अपने स्वास्थ्य की जांच करवा लेवे। इससे स्वास्थ्य शिविरों में आमजनता की भीड़ कम होगी तथा अधिकाधिक लोगों के स्वास्थ्य की जाँच संभव हो सकेगी।
- प्रत्येक उप स्वास्थ्य केन्द्र की एएनएम अपने क्षेत्र के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों की जांच कर सूचना स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्रों में आवश्यक रूप से भरवाया जाना सुनिश्चित करे ताकि लाभार्थियों की सही सूचना प्राप्त हो सके तथा अधिकतम लोग भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सकें।
- ~~स्वास्थ्य शिविरों में रोगों से बचाव,उचित खान पान व रहन सहन के बारे में जागृति पैदा करने की आई0 ई0 सी0 प्रदर्शित की जावेगी।~~
- स्वास्थ्य शिविरों में अथवा पीएचसी/सीएचसी पर ओपीडी के अन्तर्गत डॉक्टर द्वारा पहचान की गई बीमारी के इलाज के लिए आवश्यकता अनुसार उच्च राजकीय चिकित्सा संस्थानो/मेडिकल कॉलेज अस्पतालों अथवा चिन्हित निजी चिकित्सा संस्थानों के लिए चिकित्सक द्वारा हैल्थ शिविर के दौरान रोगी हैल्थ जाँच कार्ड (Patient Health Examination

Dr. V. K. Mathur
Director (RCH)

Card) भरकर रेफर किया जायेगा। रैफर किये गये व्यक्तियों के इलाज की मॉनिटरिंग सम्बन्धित क्षेत्र की एएनएम द्वारा किया जाना है।

- पीएचसी/सीएचसी प्रभारी अधिकारी अपने क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों पर लगने वाले स्वास्थ्य शिविरों का प्रभारी अधिकारी होगा तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर लगने वाले स्वास्थ्य शिविर की जगह का निरीक्षण व्यक्तिशः किया जाकर यह सुनिश्चित करे कि लगने वाले शिविर में आवश्यकतानुसार स्थान उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि स्थान कम है तो स्वास्थ्य शिविर अन्यत्र ऐसे स्थान पर लगावे जहाँ आवश्यकतानुसार स्थान उपलब्ध हो तथा आम जनता को आने-जाने में सुविधा हो। उक्त सूचना से खण्ड कार्यालय को आवश्यक रूप से सूचित करें।
- स्वास्थ्य शिविर में काम आने वाली आवश्यक दवाईयों तथा जाँच सामग्री की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। प्रारम्भ में उन स्थानों पर शिविर लगाया जाना सुनिश्चित करे जिस ग्राम पंचायत पर पीएचसी/सीएचसी स्थित है।
- जिला अस्पताल व उप जिला अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों की ड्यूटी भी उपलब्धता के अनुसार स्वास्थ्य शिविरों में लगाई जायेगी। चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ लीव रिजर्व हेतु जिला व ब्लाक स्तर पर आवश्यक संख्या में स्टाफ पाबंद किया जावें ताकि आवश्यकतानुसार चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी स्वास्थ्य शिविरों में लगाई जा सके।
- स्वास्थ्य शिविर में 15 से 50 वर्ष की समस्त महिलाओं एवं चिकित्सक की सलाह के अनुसार अन्य व्यक्तियों की हिमोग्लोबिन,ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर,वेट-हाइट तथा आँखों की जाँच की जायेगी।
- उपलब्धता के अनुसार शिविर में एक महिला चिकित्सक की ड्यूटी लगाई जायेगी।
- उपलब्धता के अनुसार आयुष चिकित्सक की ड्यूटी भी स्वास्थ्य शिविरों में लगाई जायेगी।

प्रत्येक स्वास्थ्य शिविर में निम्न प्रकार चिकित्सा अधिकारी,पैरामेडिकल स्टाफ व कर्मचारियों की ड्यूटी होगी-

क्र. स.	पद	स्टाफ संख्या	टिप्पणी
1	चिकित्सा अधिकारी	2	जिला स्तर से चिकित्सा अधिकारी की ड्यूटी स्वास्थ्य शिविर में लगाई जायेगी।
2	पैरामेडिकल स्टाफ- जीएनएम	4	कम से कम एक महिला नर्स अवश्य हो
3	पैरामेडिकल स्टाफ- एलएचवी	1	स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था में सहायता तथा फेसिलिटेटर
4	पैरामेडिकल स्टाफ- लेब टेक्नीशियन	1-2	जाँच हेतु
5	पैरामेडिकल स्टाफ-एएनएम	4-5	ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों/पीएचसी/सीएचसी पर पद स्थापित एएनएम

तृतीय चरण-

ई-हैल्थ कार्ड :-

- पीएचसी/सीएचसी पर ओपीडी के अन्तर्गत अथवा हैल्थ शिविरों में आने वाले व्यक्तियों का डॉक्टर की सलाह के अनुसार हिमोग्लोबिन, आँखों की जाँच (नज़दीक अथवा दूर दृष्टि दोष), ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हाईट, वजन आदि की जाँच की जायेगी तथा चिकित्सक द्वारा क्लिनिकल सिम्टम के आधार पर ब्लड प्रेशर व अन्य बीमारियों की पहचान की जायेगी एवं उक्त बीमारी का यदि सम्भव हुआ तो चिकित्सा अधिकारी द्वारा ओपीडी के अनुसार इलाज किया जायेगा ।
- पीएचसी/सीएचसी पर जाँच के दौरान तथा हैल्थ शिविरों में पहचान की गई बीमारी के इलाज के लिए आवश्यकता अनुसार उच्च राजकीय चिकित्सा संस्थानों/मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पतालों अथवा चिन्हित निजी चिकित्सा संस्थानों के लिए रोगी स्वास्थ्य जाँच कार्ड (Patient Health Examination Card) भरकर रैफर किया जायेगा।
- विभाग द्वारा तैयार करवाये गये आरोग्य राजस्थान ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में भर्ती मरीजों की बीमारी व जांच की ऑनलाइन एन्ट्री की जायेगी। यह ऑनलाइन एन्ट्री सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान, जहाँ बीमार व्यक्ति भर्ती है, के द्वारा की जायेगी इससे उस व्यक्ति का ऑनलाइन ई-हैल्थ कार्ड जेनेरेट होगा। ई-हैल्थ कार्ड के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति का हैल्थ इन्फोरमेसन नेटवर्क तैयार होगा।
- पीएचसी/सीएचसी पर ओपीडी के अन्तर्गत चिकित्सक द्वारा पहचान की गई बीमारियों तथा जाँच के आधार पर व भर्ती मरीजों की जाँच की पहचान की गई बीमारी तथा स्वास्थ्य शिविरों में ओपीडी के अन्तर्गत ईलाज किये मरीजों

Dr. V. K. Mathur
Director (RCH)

तथा जाँच का ब्यौरा संबंधित संस्थान द्वारा आरोग्य राजस्थान ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में की जायेगी। इससे उस व्यक्ति का ऑनलाइन ई–हैल्थ कार्ड जेनेरेट होगा।

- इसी समयावधि के दौरान, जो व्यक्ति स्वास्थ्य शिविरों से रैफर हुए बिना सीधे ही अस्पताल में चिकित्सा परामर्श हेतु जाता है तथा उसका अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों की स्वास्थ्य सम्बन्धित जानकारी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में अस्पताल द्वारा करवाई जायेगी इससे उस व्यक्ति का ऑनलाइन ई–हैल्थ कार्ड जेनेरेट होगा।
- ई–हैल्थ कार्ड के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति का हैल्थ इन्फोरमेशन नेटवर्क (HIN) डाटा बेस तैयार किया जायेगा।
- इस प्रक्रिया से अगले पॉच वर्षों में प्रदेश के अधिकतर नागरिकों का इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रिकॉर्ड (Electronic Medical Record – EMR) तैयार किया जा सकेगा। यह डाटा बेस भामाशाह योजना से जोडा जायेगा। यदि वह व्यक्ति पुनः उसी बीमारी अथवा अन्य बीमारी के इलाज हेतु किसी भी चिन्हित अस्पताल में उपचार के लिए जाता है तो ई–हैल्थ कार्ड के आधार पर उसका पूर्व का ऑनलाइन रिकॉर्ड देखकर चिकित्सक को इलाज प्रारम्भ करने में सुविधा होगी। हैल्थ इन्फोरमेशन नेटवर्क (HIN) डाटा बेस से स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय सम्भव होगा। सर्वे प्रपत्रों की आरोग्य राजस्थान सॉफ्टवेयर में ऑनलाईन एण्ट्री पूर्ण करने के पश्चात् ही ऑनलाईन ई–हैल्थ कार्ड जनरेट किया जाना सम्भव होगा।

प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्वास्थ्य शिविर आयोजन हेतु विभाग द्वारा राशि रूपये 5000/– बजट प्रावधान किया गया है।बजट व्यय केवल स्वास्थ्य शिविर के आयोजन पर ही नियमानुसार किया जाना है। जिसमें टेन्ट,दरी,टेबल मय कवर, कुर्सी,पानी की टंकी,जग,पानी का टेंकर,स्वास्थ्य शिविर बैनर आदि सम्मलित हैं। वित्त विभाग के निर्देशानुसार स्वास्थ्य शिविरों की कियान्विति एवं इस बाबत् किया जाने वाला व्यय आरटीपीपी एक्ट 2012 के प्रावधानो एवं नियत प्रकिया की पूर्ण पालना करते हुये वास्तविक आवश्यकतानुसार ही न्यूनतम व्यय निर्धारित प्रयोजनार्थ किया जाना सुनिश्चित करे।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना : –

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी होगें।
- भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभर्थियों को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत इलाज प्रदान किया जायेगा।
- प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष सामान्य बीमारियों हेतु रू 30 हजार तथा चिन्हित गंभीर बीमारियों हेतु रू 3.00 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर होगा।
- योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को स्वास्थ्य सुविधाऐं राज्य में चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, समस्त उच्च राजकीय चिकित्सा संस्थानों, समस्त मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पताल तथा चिन्हित निजी चिकित्सालयों के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा सेवायें प्रदान की जायेगी।
- हैल्थ शिविरों में रैफर किये गये उन व्यक्तियों को जिनको भर्ती कर इलाज की आवश्यकता है तथा वे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत निःशुल्क चिकित्सा सेवायें प्रदान कर इलाज प्रदान किया जायेगा।

Dr. V. K. Mathur
Director (RCH)

प्रदेश में आरोग्य राजस्थान कार्य योजना संचालन की प्रस्तावित क्रियान्विति

क्र.स.	गतिविधि	दिनाक
1	प्रदेश में आरोग्य राजस्थान अभियान हेतु प्रत्येक जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायतवार आयोजित किये जाने वाले स्वास्थ्य शिविरों (माह दिसम्बर 2015 से मार्च 2016) की निम्न सूचनाऐं राज्य स्तर पर प्रेषित करेगें– • जिले में ब्लाकवार कुल ग्राम पंचायतों की संख्या • ग्राम पंचायतवार स्वास्थ्य शिविरों का दिनांकवार शिविर आयोजन का निर्धारण • ग्राम पंचायतवार स्वास्थ्य शिविर में सम्भावित प्रतिभागियों की संख्या • जिले में ब्लाकवार कुल परिवारो की संख्या	15–09–2015 से 30–9–2015
2	आरोग्य राजस्थान योजना के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों यथा– सरपंच,प्रधान,जिला प्रमुख,एम.एल.ए, ,एम.पी.,जिला प्रभारी मंत्री आदि के आमुखिकरण हेतु समय–समय पर ओरियनटेशन शिविर एवं उनके साथ जिला स्तर से समय–समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस	23–09–2015 से 30–09–2015
3	• प्रदेश में आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे हेतु ब्लाक स्तर पर एएनएम व चिकित्सा अधिकारियो को प्रशिक्षण व राज्य स्तर से प्रिन्टेड आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्रों तथा आई.ई.सी. सामग्री का वितरण • एएनएम द्वारा अपने क्षेत्र की आशाओं को उप स्वास्थ्य केन्द्र/पीएचसी/सीएचसी पर आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र वितरण, प्रपत्र भरने हेतु दिशा निर्देश तथा भरे हुऐ प्रपत्र प्रति सप्ताह वापिस लौटाने की आशाओं को गाईड लाईन	23–09–2015 से 30–09–2015
4	आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे अभियान– आशा सहयोगिनियों द्वारा अपने क्षेत्र में घर घर जाकर परिवार प्रपत्र भरना	01–10–2015 से प्रारम्भ
5	आशा द्वारा भरें गये आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र की एण्ट्री हेतु सूचना, प्रौधोगिकी एवं संचार विभाग/आरआईएसएल राजस्थान सरकार द्वारा आरोग्य राजस्थान आनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तैयार करना।	30–11–2015 तक
6	एएनएम अपने क्षेत्र की आशाओं से भरे हुऐ प्रति सप्ताह सोमवार को आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र इकजाई कर उनकी गुणवता की जाँच करेगी प्रपत्रो में गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियो की चैकलिस्ट तैयार करना व इकजाई लिस्ट संबंधि पीएचसी/सीएचसी को स्वास्थ्य शिविर हेतु प्रस्तुत करना तथा प्रपत्र की बिन्दु संख्या 1 से 10 तक की एन्ट्री विभाग द्वारा तैयार करवायें गये सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन में पीएचसी/सीएचसी/उपजिला अस्पताल में एन्ट्री हेतु इकजाई प्रपत्र प्रेषित करना	15–10–2015 से 30–11–2015
7	प्रपत्र के बिन्दु संख्या 1 से 10 तक की एन्ट्री विभाग द्वारा तैयार करवायें गये सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन में प्रत्येक पीएचसी/सीएचसी/उपजिला अस्पताल में जिले द्वारा निविदा के तहत चयनित फर्म द्वारा आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र की एन्ट्री की जायेगी। जिसमें संबंधित क्षेत्र की एएनएम व एलएचवी प्रपत्रों की गुणवत्ता की जॉच पश्चात परिवार का डाटा सॉफ्टवेयर में ऑनलाईन किया जायेगा।	10–12–2015 से 29–02–2016
8	जिला स्तर से ग्राम पंचायतवार स्वास्थ्य शिविरों में पैरामेडिकल स्टाफ एवं चिकित्सकों की ड्यूटी का निर्धारण	15–11–2015 से
9	ग्राम पंचायतवार स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन– स्वास्थ्य शिविर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित पीएचसी/सीएचसी पर तथा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पीएचसी/सीएचसी स्थित नहीं होने पर अटल सेवा केन्द्रों /उप स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल स्टाफ एवं चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।	15–12–2015 से 31–03–2016
10	सॉफ्टवेयर में चिकित्सक की सलाह के अनुसार संबंधित चिकित्सा संस्थान के कर्मचारियों द्वारा ओपीडी मरीजों अथवा भर्ती मरीजों की जाँच एवं बीमारी की एण्ट्री की जायेगी। जिससे उस व्यक्ति का सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन ई–हैल्थ कार्ड जेनेरेट होगा। ई–हैल्थ कार्ड के आधार पर हैल्थ इन्फोरमेशन नेटवर्क (HIN) तैयार होगा।	Continuous process

Dr. V. K. Mathur
Director (RCH)

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान   क्रमांक:

आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र (प्रति परिवार एक फार्म भरा जावे)

1. ग्राम/वार्ड: .... ग्राम पंचायत/कस्बा........................... ब्लॉक/शहर........................

उप स्वास्थ्य केन्द्र .... सम्बन्धित पीएचसी/सीएचसी का नाम ....

2. मुखिया का नाम .... 3. मोबाइल नम्बर ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(भामाशाह कार्ड के अनुसार यदि भामाशाह कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड के अनुसार)

4. भामाशाह कार्ड आईडी ☐☐☐☐☐☐☐

5. भामाशाह कार्ड रसीद संख्या (यदि भामाशाह कार्ड नहीं बना है) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना

लाभार्थी: (✓ सही का निशान लगायें) हाँ ☐ नहीं ☐

7. राशनकार्ड आईडी ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

लाभार्थी: (✓ सही का निशान लगायें) हाँ ☐ नहीं ☐

9. आरएसबीवाई कार्ड संख्या ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

10. परिवार के सदस्यों की जानकारी जो मुखिया के साथ रहते हैं

क्र. सं.	नाम	परिवार के मुखिया के साथ रिश्ता (चैकलिस्ट से कोड अंकित करें)	लिंग पुरुष 1, स्त्री 2, अन्य 3 (कोड अंकित करें)	उम्र जन्म तिथि DD/MM/YYYY	बीमारी का नाम (चैकलिस्ट के अनुसार कोड भरें)	बीमारी के लक्षण (चैकलिस्ट के अनुसार कोड भरें)	आधार कार्ड नम्बर
1		स्वयं					
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

11. क्या आपके परिवार में गर्भवती महिला है? हाँ ☐ नहीं ☐ यदि हाँ तो संख्या ☐ तथा गर्भवती महिला मॉनिटरिंग प्रपत्र भरें।

चैकलिस्ट: मुखिया से सम्बन्ध के कोड: 1. पत्नी/पति 2. पुत्र/पुत्री 3. दामाद/पुत्रवधु 4. पौत्र/पौत्री 5. माता/पिता 6. सास/ससुर 7. पड़पौत्र/पड़पौत्री 8. नाती/नातिन 9. ब्लड रिलेशन के अलावा सम्बंध (यदि है तो लिखें) -

चैकलिस्ट – बीमारी का नाम

कोड	बीमारी का नाम	कोड	बीमारी का नाम	कोड	बीमारी का नाम	कोड	बीमारी का नाम	कोड	बीमारी का नाम	कोड	बीमारी का नाम	कोड	बीमारी का नाम
1	डायबिटीज (शुगर)	9	मिर्गी	16	फ्लोरोसिस	26	प्रोस्टेट का बढ़ना	32	विकलांगता - अंधता	37	विकलांगता - दृष्टि दोष	42	नशे की लत - गांजा
2	हाइब्लड प्रेशर	10	मोतियाबिन्द	17	हृदय रोग	27	हर्निया	33	विकलांगता - मूकबधिर	38	विकलांगता - शारीरिक - अन्य कोई हो तो नाम लिखें	43	नशे की लत - चरस
3	कैंसर	11	आँख का काला मोतिया/कालापानी –ग्लोकोमा	18	अस्थमा/दमा	28	महिला–अनियमित मासिक धर्म	34	विकलांगता - मानसिक	39	टीबी	44	नशे की लत - तम्बाकू धूम्रपान
4	खून की कमी (एनीमिया)	12	कान का बहना	19	सिलीकोसिस	29	महिला–असामान्य रक्तस्राव	35	विकलांगता - शारीरिक - हाथ	40	नशे की लत - शराब	45	नशे की लत - तम्बाकू चबाना
5	गठिया	13	रतौंधी	20	लीवर की बीमारी	30	महिला– श्वेत प्रदर (ल्यूकोरिया)	36	विकलांगता - शारीरिक - पैर	41	नशे की लत - अफीम	46	उपरोक्त के अलावा अन्य कोई बीमारी हो तो उसका नाम
6	कुष्ठ रोग	14	पायरिया (मसूड़ों में सड़न)	21	कृमि (पेट में कीड़े)	31	आर.टी.आई./एस.टी.आई.						
7	एक्जीमा (त्वचा का रोग)	15	थाइराइड सम्बन्धित	22	गुर्दे की बीमारी								
8	कुपोषण			23	पथरी								
				24	पीलिया								
				25	बवासीर								

चैकलिस्ट – बीमारी के लक्षण

कोड	बीमारी का नाम	कोड	बीमारी का नाम	कोड	बीमारी का नाम	कोड	बीमारी का नाम	कोड	बीमारी का नाम	कोड	बीमारी का नाम	कोड	बीमारी का नाम
1	कम दिखाई देना	7	चलने में कठिनाई	11	पेशाब करने में जलन	16	कान का बहना	20	लम्बे समय से कमर से झुककर चलना	24	लम्बे समय से सिर में दर्द	27	उपरोक्त के अलावा अन्य कोई लक्षण हो तो उसका नाम
2	कम सुनाई देना	8	नींद नहीं आना	12	पेशाब करने में रुकावट	17	कान में दर्द	21	हाथों में कंपन	25	15 दिन से अधिक समय तक खांसी		
3	सांस लेने में कठिनाई	9	शरीर के किसी भी भाग पर असामान्य गांठ	13	लम्बे समय से पेट दर्द	18	सामने वाले दांतों में पीलापन	22	मुंह का पूर्ण रूप से नहीं खुलना	26	पैरों में सूजन		
4	दांतों में दर्द	10	शरीर के किसी भी भाग से नियमित खून का बहना	14	जन्मजात विकृति	19	रात को दिखाई नहीं देना	23	बच्चे की सामान्य रूप से सांस फूलना				
5	जोड़ों में दर्द			15	ताप आना								
6	कमर में दर्द												

प्रमाणितकर्ता आशा का नाम व हस्ताक्षर

मोबाइल नम्बर ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर

दिनांक

........✂........✂........ यहाँ से काटें ....✂........✂........

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान   क्रमांक:

आमंत्रण पत्र

योजना का लाभ लेने हेतु आप आमंत्रण पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिन पश्चात् अपने स्वास्थ्य की जांच नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर करवाकर अपना स्वास्थ्य कार्ड बनवा लेवें अन्यथा आप ग्राम पंचायत पर लगने वाले स्वास्थ्य कैम्प में सम्मिलित होकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेवें।

स्वास्थ्य कैम्प का स्थान-

आशा का नाम व हस्ताक्षर मय दिनांक-   दिनांक

आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम-   मोबाइल नम्बर ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(यदि आपका भामाशाह कार्ड नहीं बना है तो योजना का लाभ लेने हेतु भामाशाह कार्ड अवश्य बनवा लेवें।)   भामाशाह कार्ड आईडी ☐☐☐☐☐☐☐

Dr. V. K. Mathur
Director (RCH)

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान

उपकेन्द्रवार बीमार व्यक्तियों की सूची

(हेल्थ कैम्पो के लिए सूची)

(आशा सहयोगिनियों द्वारा भरे गये प्रपत्रों में से क्षेत्र के परिवारों में बीमार व्यक्तियों की इकजाई सूची)

जिला: .... ब्लॉक: .... पीएचसी/सीएचसी का नाम: .... उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम: ....

क्रं. सं.	गॉव/ढाणी का नाम	बीमार व्यक्ति की जानकारी								
		बीमार व्यक्ति का नाम	लिंग	उम्र	आधार कार्ड नम्बर/UID No.	बीमारी का नाम (कोड भरें)	बीमारी के लक्षण (कोड भरें)	प्रपत्र संख्या	लाभार्थी एनएफएसए/आरएसबीवाई (NFSA/RSBY)	भामाशाह कार्ड/राशन कार्ड नम्बर
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										

दिनांक

Dr. V. K. Mathur
Director (RCH)

एएनएम नाम व हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान

ग्राम पंचायतवार बीमार व्यक्तियों की सूची

(हेल्थ कैम्पो के लिए सूची)

(संबंधित पीएचसी / सीएचसी द्वारा उपस्वास्थ्य केन्द्रवार परिवारों में बीमार व्यक्तियों की इकजाई सूची)

जिला: .... ब्लॉक: .... पीएचसी / सीएचसी का नाम: .... ग्राम पंचायत का नाम: ....

क्रं. सं.	गॉव / ढाणी का नाम	बीमार व्यक्ति की जानकारी								
		बीमार व्यक्ति का नाम	लिंग	उम्र	आधार कार्ड नम्बर / UID No.	बीमारी का नाम (कोड भरें)	बीमारी के लक्षण (कोड भरें)	प्रपत्र संख्या	लाभार्थी एनएफएसए / आरएसबीवाई (NFSA/RSBY)	भामाशाह कार्ड / राशन कार्ड नम्बर
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										

दिनांक

चिकित्सा प्रभारी अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर

Dr. V. K. Mathur
Director (RCH)

Government of Rajasthan
Directorate of Medical and Health Services
Patient Health Examination Card
(For use by Doctor in Health Camp for Aarogya Campaign)

District ______________ Health Camp Venue ______________ Date ______________

Name of patient ______________ Age (yrs) ______ Gender Male / Female / Other

Bhamashah Card ID
RSBY Card No. ______________ Aadhaar No. ______________ Insurance Status Insured / Not Insured

Diagnosis in Health Camp: ______________

Present History:

Past History:

Personal History:

Family History:

Immunization History:

Common Allergy History:

Common Drug Allergy

In case of women:
Menstrual History:

Obstetric History

Clinical Examination:
Pulse Rate
Resp. Rate
Temp (°C)
Height (cm)
Weight (kg)
BP
Observations on clinical examination

℞

Treatment advised:

Investigations
Hb
Blood Group
Blood Sugar
Other

Further investigations required at higher Health Institute? Yes / No
Hospitalized treatment required? Yes / No
If yes, Disease / Health condition covered under State Health Insurance Scheme? Yes / No
Referred to hospital for hospitalized treatment/intervention for rehabilitation (Caliper, Tricycle, hearing aids, spactacles) Yes / No
If yes, name of Referral Hospital ______________

Place: ______________

Date: ______________

Signature: ______________

Name & designation of Doctor: ______________

____

18.2.18
Dr. V. K. Mathur
Director (RCH)

Flow Chart Arogya Rajasthan

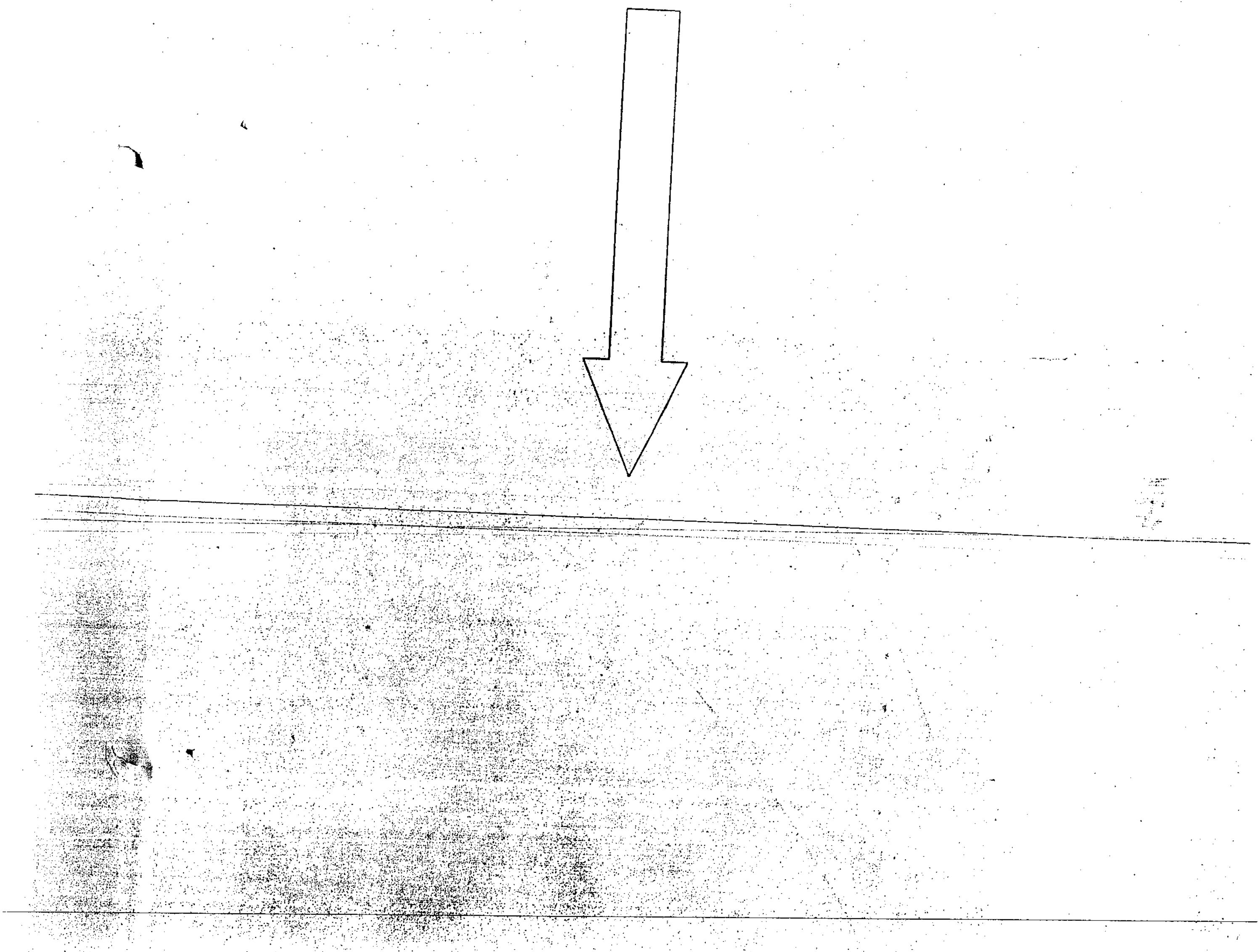

Dr. V. K. Mathur
Director (RCH)